रिलायंस ने ओएनजीसी के कुएं से हज़ारों करोड़ की गैस चुरायी, तो क्या हुआ ?

ओएनजीसी ने 15 मई 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय में रिलायंस इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड पर अपने ब्लॉक से 30 हज़ार करोड़ रुपये की गैस चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था।

पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स (डीजीएच) ने इस आरोप की जांच का ठेका दुनिया की जानीमानी सलाहकार कम्पनी डिगॉलियर एण्ड मैकनॉटन (डीएण्डएम) को दिया था। उसने 1 दिसम्बर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के मुताबिक ओएनजीसी के कृष्णा-गोदावरी (केजी बेसिन) में स्थित गैस ब्लॉक से 11.12 अरब घन मीटर गैस रिसकर रिलायंस इण्डस्ट्रीजलिमिटेड (आरआईएल) के ब्लॉक में चली गयी। इसकी कीमत आज के बाजार भाव के हिसाब से 11,055करोड़ रुपये बैठती है।

रिलायन्स और ओएनजीसी के बीच विवाद पर अपनी रिपोर्ट में डीएण्डएम ने इस मामले को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझा दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर रिलायंस के ऊपर 30,000 करोड़ रुपये की गैस चोरी का आरोप लगानेवाली ओएनजीसी और चोरी के आरोप को पूरी तरह नकारनेवाली रिलायंस में से कौन सही है और कौन गलत, यह तय कर पाना कठिन है। डीएण्डएम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अब ओएनजीसी का अपने ब्लॉक से गैस निकालना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इन ब्लॉकों से आज तक गैस निकालने का काम नहीं हुआ। इससे बेहतर यही है कि इन ब्लॉकों में बची गैस को रिलायंस से ही निकलवा लिया जाय जो इस काम में माहिर है। क्या यह चोर को सरदारी सौंपने जैसी बात नहीं हो गयी?

सरकार ने केजी बेसिन में गैस निकालने के लिये निजी क्षेत्र की रिलायंस इण्डस्ट्रीज और सरकारी क्षेत्र की कम्पनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को ब्लॉक आवंटित किये थे। आरआईएल के प्रधान मुकेश अम्बानी का पिछली सभी सरकारों पर कितना प्रबल प्रभाव था, यह बात जगजाहिर है। यह बात मीडिया की सुर्खियों में आती रही है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान मुकेश अम्बानी की मर्ज़ी से पेट्रोलियम मंत्री हटाये और बहाल किये जाते थे। जाहिर है कि पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में रिलायंस का इजारा काफ़ी पुराना है।

रिलायंस और ओएनजीसी के बीच गैस चोरी को लेकर विवाद की थोड़ी-थोड़ी भनक तो 2013 में ही मिलने लगी थी, जो 15 मई, 2014 को सतह पर आ गयी। यह खुलासा एक महत्त्वपूर्ण दिन और तारीख को हुआ क्योंकि तब 2014 का लोकसभा चुनाव पूरा हो गया था और अगले दिन 16 मई को उसका परिणाम आनेवाला था।

बहरहाल, ओएनजीसी ने 15 मई, 2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जिसमें यह आरोप लगाया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने उसके गैस ब्लॉक से हज़ारों करोड़ रुपये गैस की चोरी की है। ओएनजीसी का कहना था कि आरआईएल ने जानबूझकर दोनों ब्लॉकों की सीमा के बिलकुल करीब से गैस निकाली, जिसके चलते ओएनजीसी के ब्लॉक की गैस आरआईएल के ब्लॉक में आ गयी।

ओएनजीसी ने मुकदमा दायर करने के लिये यह तारीख शायद इसीलिये तय की थी कि तब सरकार पर किसी भी पार्टी की पकड़ मजबूत नहीं थी और इसके चलते उस पर राजनीतिक दबाव बनाये जाने की सम्भावना कम थी। ओएनजीसी ने आरआईएल पर अपने जिस ब्लॉक से गैस चुराने का आरोप लगाया वह मुकेश अम्बानी की कम्पनी के कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित केजी-डी 6 ब्लॉक से सटा हुआ है। ओएनजीसी के चेयरमैन डी. के. सर्राफ़ ने 20 मई को अपने बयान में कहा कि ओएनजीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ़ जो मुकदमा दायर किया है, उसका मकसद अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा करना है। क्योंकि रिलायंस की चोरी के चलते उसे लगभग 30,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

16 मई को राजनीतिक हवा का रुख बदलते ही, रिलायंस का पलड़ा भारी हो गया। मुकदमा दायर किये जाने के हफ़्ते भर बाद, यानी 23 मई, 2014 को एक बयान में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि 'हम जी 4 और केजी-डीडब्ल्यूएन-98-2 ब्लॉक से कथित तौर पर गैस की 'चोरी' के दावे का खण्डन करते हैं। सम्भवत: यह इस वजह से हुआ कि ओएनजीसी के ही कुछ तत्वों ने नये चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक सर्राफ को गुमराह किया जिससे वे इन ब्लॉको का विकास न कर पाने की अपनी विफ़लता को छुपा सकें।' हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि सर्राफ़ को गलत जानकारी देने वाले कौन थे।

23 मई को रिलायंस, ओएनजीसी और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक हुईऔर सबने मिलकर इस मामले के अध्ययन के लिये एक समिति बनाने का निर्णय लिया। मज़ेदार बात यह कि 15 मई को दायर किये गये मुकदमे में ओएनजीसी ने रिलायंस पर तो चोरी का आरोप लगाया ही था, उसने सरकार को भी आड़े हाथों लिया था। ओएनजीसी का कहना था कि डीजीएच और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निगरानी किये जाने के कारण ही रिलायंस ने यह चोरी की। विडम्बना यह कि ओएनजीसी ने जिन दो पक्षों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चोरी का इल्ज़ाम लगाया, उन्हें ही उस विवाद का निबटारा करने के लिए बनी समिति में शामिल कर लिया गया, यानी वादी-प्रतिवादी मिल-बैठकर आपस में सुलट लें, जैसा गांव के झगड़ों में हम आये दिन देखते हैं उस समिति ने मामले की जांच के लिये जिस विदेशी कम्पनी को ठेका दिया, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ओएनजीसी के ब्लॉक से आरआईएल के ब्लॉक में सिर्फ़ 11,000 करोड़ रुपये की गैस गयी है। दूसरे, उसने यह सलाह भी दे डाली कि इन ब्लॉकों में बची गैस को रिलायंस से ही निकलवा लिया जाय तो इस काम को करने में माहिर है। इस मामले का निबटारा कैसे होना है, इसका अनुमान लगाने के लिए रिपोर्ट के ये मजमून काफ़ी हैं।

मोदी की नयी सरकार ही नहीं, मनमोहन सरकार के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली भी रिलायंस पर मुकदमे के चलते ओएनजीसी से खफ़ा थे। मोदी सरकार बनने से ठीक चार दिन पहले 22 मई 2014 को, जब उनके भाग्य का फ़ैसला हो चुका था और उनका जाना तय हो गया था, मोइली ने पेट्रोलियम सचिव सौरव चन्द्रा को लिखे एक पत्र में अपने मनोभावों का इजहार किया, ''यह एक बेहद गम्भीर मामला है जिसमें एक सरकारी कम्पनी अपने सबसे बड़े हिस्सेदार यानी भारत सरकार और अपने नियंत्रक यानी डीजीएच के खिलाफ़ अदालत चली गयी है।'' मोइली ने अपने पत्र में इस बात की जांच पर बल दिया कि क्या ओएनजीसी ऐसे किसी मामले को अदालत में ले जाने के लिये स्वतंत्र है? इसके अलावा उन्होंने उन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी की जिनकी कथित लापरवाही की वजह से यह मामला इस स्तर तक पहुंच गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी ओएनजीसी से कहीं ज़्यादा निजी क्षेत्र की कम्पनी रिलायन्स की चिन्ता ''इस'' सरकार को तो है ही, ''उस'' सरकार को भी कम नहीं थी। जाहिर है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी या गठबन्धन की हो, उनके असली मालिक, सरमायादारों के मुनाफ़े पर कोई आंच नहीं आनेवाली। चाहे वह मुनाफ़ा चोरी से कमाया गया हो, या सीना जोरी से। इसे ही कुछ अर्थशास्त्री यारान पूंजीवाद कहते हैं। वैसे इसे मौसेरे भाई पूंजीवाद कहना भी गलत नहीं।

'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट झलकियां!

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले करीब डेढ साल से सरकारी अमला 'स्मार्ट सिटी' का ढोल पीट रहा है। इसके लिये गोष्ठियां करने, फ़ार्म छपवाने लोगों के विचार जानने व ब्रैंड एम्बसेडर नियुक्त करने जैसे कामों पर खासा पैसा भी खर्च कर दिया गया है। लेकिन शहर को वाकई स्मार्ट बनाने के जो काम हैं, जिनसे शहरवासियों को कुछ सुकून मिले, वह नहीं कर सकता यह अमला।

मथुरा रोड पर बाटा पुल से उतरकर दिल्ली की ओर मुड़ें तो सड़क किनारे करीब 150 फ़ीट तक स्थाई रूप से पानी खड़ा रहता है। स्थाई रूप से यानी इसके लिये बरसात की जरूरत नहीं होती। बिना बरसात के ही बारहों महीना पानी खड़ा रहता है और बरसात में तो कहने ही क्या। नगर निगम वाले कहते हैं कि सड़क का यह भाग उनके क्षेत्र में नहीं आता। 'हूडा' का तो वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं। रही बात एन एच ए आई (नेशनल हाइवे प्राधिकरण) की तो उनका जवाब तो और भी साफ़ और वाजिब है कि सड़क से तो पानी निकलता नहीं पानी तो नगर निगम के इलाके से ही आकर यहां जमा होता है।

गौ माता के नाम पर नौटंकी करने वाली भाजपा सरकार गौ माता को राष्ट्रीय 'माता' घोषित कराने के अलावा गौशाला टैक्स लगाने जैसे शगूफ़े तो छोड़ सकती है; लेकिन शहर की सड़कों व बाज़ारों में घूमती गायों से शहर को निजात नहीं दिला सकती। सड़कों पर घूमती इन गायों से रात के अंधेरे में अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं, कई बार तो प्राण घातक भी। दिनांक 7 मार्च को रात करीब 8 बजे सेक्टर 14 के पीछे बाइपास रोड पर घूमते एक गौ पिता (खागड़) को किसी भारी वाहन ने ठोक दिया। काले रंग का पशु रात के अंधेरे में अक्सर वाहन चालक को दिखाई नहीं पड़ता। वाहन की टक्कर से ये गौ पिता चल बसे। सड़क की डिवाइडर पर गिरे तो ऐसे गिरे कि आधे इधर और आधे उधर। रात भर गुजरने वाले अन्य वाहनों के साथ क्या हुआ यह तो पता नहीं, लेकिन करीब 40 घंटे तक कुत्ते जरूर उसे फ़ाड़-फ़ाड़ कर खाते रहे। इसके बाद नगर निगम की मेहरबानी हुई जो उसे वहां से उठाया गया। यदि ये गौ पिता किसी छोटे वाहन से टकड़ाये होते तो उनकी जगह वाहन चालक सड़क पर पसरे होते।

अवैध कब्जों से संकरे हुए बज़ार एवं शहर की गलियों से शहर की स्मार्टनेस शायद बढती ही होगी जो इसे नगर निगम एवं 'हूडा' वाले हर कीमत पर बनाये रखना चाहते हैं। दुकानों के आगे सज़ा कर रखे गये सामानों को हटाने में पूरी तरह विफ़ल होने के बाद अब एक नया ड्रामा प्रशासन ने शुरू किया है। दुकान के सामने की 4 फ़ीट जगह छोड़ कर एक पीली लाइन खींची जायेगी। इस लाइन तक सामान फ़ैलाने का संवैधानिक अधिकार दुकानदारों को मिल गया है। इस हिसाब से दोनों तरफ़ के 4-4 फ़ीट मिला कर 8 फ़ीट सड़क तो सरकार ने उन्हें कानूनी रूप से दे ही दी। बाकी आगे उनकी अपनी हिम्मत। छूट देते वक्त यह देखने का प्रयास भी किसी ने नहीं किया कि किसी दुकानदार ने पहले से ही अवैध निर्माण करके अपनी दुकान कितनी आगे बढा रखी है।

जाम की समस्या को हल करने के प्रयास में शहर का मशहूर एक-दो नम्बर चौक बन्द करा दिया गया। सोच तो अच्छी थी, परन्तु कार्यान्वयन में लापरवाही के फ़लस्वरूप पूरे चौक को ऑटो रिक्शा वालों ने घेर कर जाम की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इस चौक की तरह कुछ अन्य कट भी अवरोधक लगा कर बन्द किये थे। लेकिन प्रशासनिक ढिलाई एवं लापरवाही के चलते वहां से गुजरने वाले लोगों ने अपना रास्ता बनाने के लिये उन अवरोधकों को इस तरह घुमा दिया कि जाम के साथ-साथ सामान्य यातायात भी खतरनाक हो गया। भुगते जनता, प्रशासन को क्या।

स्वच्छता अभियान का ढोल, गांव अनखीर खोलता इसकी पोल

फ़रीदाबाद (म.मो.) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीब 2 वर्ष से बज रहे स्वच्छता के ढोल की पोल देखने के लिये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। शहर के 21 डी के ठीक सामने गांव अनखीर है। इस गांव के अधिकांश निवासी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। इसके लिये उन्हें सबसे उपयुक्त स्थान उपलब्ध है सैक्टर की ग्रीन बैल्ट। इन लोगों के लिये इस ग्रीन बैल्ट का शायद इससे बेहतर कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन यह इनका शौक नहीं बल्कि नालायक सरकार के हरामखोर अफ़सरों द्वारा थोपी गयी मजबूरी है।

अपनी कानूनी दादागिरी के बल पर सरकार गांवों की अधिग्रहीत ज़मीन के मुआवज़े का 10 प्रतिशत भाग गांव के विकास फंड (वी डी एफ़) के नाम पर हड़प लेती है। इस गांव से भी गत बीसियों बरस में करोड़ों रुपया सरकार ने हड़प लिया है। गांव के विकास के नाम पर 'हूडा' ने कुछ गलियां पक्की कर दीं। और एक नकली सी सीवर लाइन भी डाल दी। इन फ़र्जी विकास कार्यों के उद्घाटनस्वरूप नारियल फ़ोड़ने का काम मई 1999 में कृष्णपाल गूजर ने बतौर स्थानीय विधायक एवं राज्य के परिवहन मंत्री, किया था। कृष्णपाल जैसे सियासी नाटकबाज केवल नारियल फ़ोड़ कर जनता को बहकाना ही अपना काम समझते हैं। मजे की बात यह है कि कृष्णपाल खुद भी पड़ोस के ही गांव मेवला महाराजपुर के रहने वाले हैं तथा अनखीर गांव भी उनके सजातीय भाई-भतीजों का ही है।

सर्वविदित है कि जब से मोदी के नेतृत्व में जुमलेबाज़ों ने सरकार सम्भाली है तब से कभी स्वच्छता अभियान तो कभी मेक इन इंडिया अभियान, तो कभी स्टैंड अप तो कभी स्टार्ट अप आदि ड्रामे चला रखे है। स्वच्छता के नाम पर तो मोदी व खट्टर से लेकर तमाम छोटे-बड़े नेताओं ने हाथ में झाड़ू लेकर खूब फ़ोटो खिचवाये। स्वच्छता एवं शौचालयों के नाम पर टैक्स भी लगा दिया। और वास्तविकता पूरे देश भर में अनखीर से भी बद्तर है। सन् 1999 में नारियल फ़ोड़ने के बाद फ़िर कभी कृष्णपाल ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि वह फ़ोड़ा हुआ नारियल कहां तक पहुंचा।

विकास के नाम पर गांव वालों से वसूले गये करोड़ों रुपये से नालायक सरकार के भ्रष्ट अफ़सरों ने क्या खिलवाड़ किया? बस यही है इन कृष्णपालों का असली चेहरा।

गतिमान एक्सप्रेस चल गयी, लाखों दैनिक यात्रियों को सरकार भूल गयी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिल्ली (निजामुद्दी) से आगरा के लिये सरकार ने गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन चला तो दी, पर इसमें बैठने वाले यात्री रेलवे को नहीं मिल रहे। तीव्रतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली 12 डिब्बों की इस ट्रेन में सवारियों के लिये मात्र 10 व शेष 2 डिब्बे जनरेटर के लिये रखे गये हैं।

कुल 100 मिनट में अपना सफ़र पूरा करने वाली इस गाड़ी में 8 डिब्बे वातानुकूलित चेयरकार के व 2 डिब्बे अति उच्च (एक्जीक्यूटिव) श्रेणी के हैं। चेयरकार में कुल 680 सीटें व अति उच्च श्रेणी में 78 सीटें रखी गयी हैं। इनका किराया अत्यधिक होने के चलते करीब एक चौथाई सीटें खाली रह जा रही हैं।

दूसरी ओर, ऐयाशी के इस प्रदर्शन के लिये साधारण एवं जरूरतमंद यात्रियों की लोकल व लम्बी दूरी की कम से कम 6 ट्रेनें प्रभावित हुई। गतिमान के लिये ट्रैक खाली रखने के लिये इन ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर किनारे लगा दिया गया। जाहिर है इससे उनमें बैठे यात्रियों को कई घंटे अतिरिक्त लगे। लेकिन जनहित का फ़र्जी ढोल पीट कर जनविरोधी नीतियां बनाने वाली मोदी सरकार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विदित है कि इस रूट पर यात्रियों का भारी आवागमन देखते हुए कम से कम 3 अतिरिक्त लोकल ट्रेनों की सख्त जरूरत है। इसके अलावा लम्बी दूरी की ट्रेनों में भी महीनों पहले बुकिंग कराने के बावजूद सीट नहीं मिलती। ऐसे में जरूरतमंद यात्रियों के लिये ट्रेनें बढ़ाने की अपेक्षा घन्ना सेठों के लिये ट्रेन चलाना जरूरी समझा गया।

इस रूट पर भारी आवागमन को देखते हुए गत दसियों बरस से एक अतिरिक्त (चौथी) लाइन बिछाने की बात चल रही है। करीब 5 वर्षों से इसे बिछाने का काम चल रहा है और अभी न जाने कितने बरसों तक यह काम चलता रहेगा। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की जनसाधारण की जरूरतों एवं सुविधाओं से इनका इतना ही लेना-देना रह गया है।

लाला रामदेव को सिरकाटू गुस्सा क्यों आता है ? कृपया तीन कानून सम्मत विकल्पों से ही चुनें -

1. **उनका कच्ची घानी का तेल कम बिक रहा है ?**
2. **छी छी रविशंकर, पुरस्कार और प्रचार दोनों में उनसे आगे निकल गया ?**
3. **स्वयं पर योग-प्राणायाम का असर होना बंद हो गया ?**